Form-1
(For Linear Projects)
Government of Uttrakhand
Office of the District collector Pithoragarh

No.......... Date- 29/11/2014

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 3.492 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Gram Vikash Department ,Govt. of UK for the construction of Motor Road From Chaubati to Barambachkudi in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Barambachkudi villages in Didihat Tehsil.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.492 hectares of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s) sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure 30.1 to ------ annexure 30.14

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it------

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

Dated. 29/11/2014

(H.C. Semwal)
District collector
Pithoragarh
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

A-1.6.2

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee Constituted under Schdule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act. (FRA), 2006.

A meeting of the District level committee of Pithoragarh District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. H.C. Semwal, I.A.S., District Magistrate Pithoragarh on Date 29/11/2014 at Pithoragarh in which the application claiming right in mail area measuring 5.409 Hect. for the construction of Chaubati to Barambachkudi Motor Road of Forest Level Committee of Didihat Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the document and detail discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Pithoragarh

Dated:- 29/11/2014

(H.C. Semwal)
(H.C. Semwal)
District Magistrate,
District Level Committee
Distt. Pithoragarh

A-1.6.3

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जानजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिला स्तरीय समिति– पिथौरागढ़

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग, (2.754 है0 नाप भूमि 5.409 है0 सिविल सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 8.163 है0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील–डीडीहाट) की दिनांक 28/10/2014 .....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री एच0सी0 सेमवाल** जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री एच0सी0 सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
2– डा0 इन्द्रपाल सिह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
3– श्री श्याम लाल आर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
4– श्रीमती सपना सन्याल ....सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र बिटगालगाँव ....सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चौबाटी से बरमबचकुड़ी** मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.163 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एंव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु हस्तान्तरण की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एंव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सपना
सदस्य जिला पंचायत
क्षेत्र :- बिटगालगाँव

जिलाधिकारी अध्यक्ष जिलाधिकारी पिथौरागढ़	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र – सदस्य

श्रीमती जयन्ती देवी
ब्लाक प्रमुख
वि0ख0 डीडीहाट

A-31.6.4

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी0) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी डीडीहाट

अनुसूचित जानजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– डीडीहाट

उपखण्ड ~~बेरीनाग~~ डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चौबाटी से बरमबचकुड़ी . मोटर मार्ग**, 2.754 हे0 नाप भूमि, 3.492 हे0 सिविल सोयम (वन स्वरुप) वन भूमि, **1.917 सिविल सोयम (वन रहित), शून्य हे0** वन पंचायत भूमि **शून्य हे0** आरक्षित वन अर्थात कुल 5.409 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– डीडीहाट) की दिनाक 26.10.11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्य उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनुराग आर्य उपजिलाधिकारी डीडीहाट अध्यक्ष
2– श्री अखिल कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी डीडीहाट सदस्य / सचिव
4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चौबाटी से बरमबचकुडी मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 5.409 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एंजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की सकती है।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष	उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी डीडीहाट सदस्य / सचिव	बी0डी0सी0क्षेत्र सदस्य

A-1-6-5

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फेज–IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी0) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– बरमबचकुड़ी

तहसील–डीडीहाट जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में ज़नपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.754 हे0 नाप भूमि, 5.409 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि) अर्थात कुल 8.163 हे0 वन भूमि का ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट (पिथौरागढ़) विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरमबचकुड़ी......द्वारा दिनांक 26/10/18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरमबचकुड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नही है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नही हैं। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नही है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नही लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

कनिष्ट अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट(पिथौरागढ़)	सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट(पिथौरागढ)	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट(पिथौरागढ)

सरपंच
वन पंचायत दड़ेत (चौबाटी)
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत- बरम बचकूड़ी
वि0ख0- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ह0 / – वन पंचायत सरपंच	ह0 / – ग्राम प्रधान	ह0 / – जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

A-1.6.6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 22AA 797284

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चौबाटी-धरमबचकुड़ी मोटर मार्ग में हम सभी कृषकों की नापभूमि पड़ती है। मार्ग के कटने से जो मलवा निकलेगा उसे हमारी नापभूमि में डालने में हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मलवा डालने हेतु अपनी नापभूमि निःशुल्क देने को तैयार हैं।

नापल - बड़ेत

1 महेश सिंह
2 रवीमा देउपा
3 कमला देउपा
4) भागीरथी देउपा
5) [illegible]
6 - नीरू देउपा
7) [illegible]
(8) हीरा देउपा
[illegible]

(9) कुन्दन राम
[illegible] जोशी
~~गोविन्द बल्लभ जोशी~~
[illegible] जोशी
प्रेम चन्द्र जोशी
[illegible]
ललिता प्रसाद जोशी
बहादुर राम
भूपाल राम
चन्द्र राम नकुरा

कुन्दन राम
रमेश राम
राजू राम
जानकी देवी
गीता देवी [illegible]
रमेश राम [illegible]
[illegible] देवी
[illegible] देवी
कमला देवी
जैन्ती देवी

A-1-6-7

9. गोविन्दसिंह
10 नीरज सिंह
11 तारा देवी
यशोदा देवी
12 इथाद सिंह

13 - भूपाल सिंह [illegible] -

9 JUN 2014

14 - जीवन्ती देवी
15 बबीता देवी
16 - ज्योति [illegible]
17 - कमला देवी
18 - [illegible] राम
19 - [illegible]
20 उमा [illegible]
21 [illegible]
22 [illegible]
23 - [illegible]
24 - [illegible] देवी
25 - [illegible] सिंह
26 - [illegible] सिंह

[illegible]
[illegible]
मान सिंह
Samel Singh
K. S. Bora

A-1-II-1

प्रारुप–29

(5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)

Cost Benefit Ratio calculation Performa

परियोजना का नामः–जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चौबाटी–बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी0) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरित प्रस्ताव।

Block:-डीडीहाट

District:-पिथौरागढ़

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	**Total cost (Investment incurred)**		
(A)	Construction cost of the project	553.90	
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha	37.8	
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	60.71	
(E)	Other cost if any	14.1	
	Grand Total	666.51	
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	**i. Direct Economic Benefits**		
	a. Market Development :-10 shops are established after construction of above road taking minimum benefit for pae shop per day Rs. 180.00 benefit for 10 shops per month 10x30x180=67500.00x12=54000.00 Benefit for 1 year =54000.00x12 = 648000.00 Benefit for 50 years = 648000.00x50=32400000.00	324.00	
	b. Employement Generation Due toTranspotation	240.00	
	c. Direct Employement in construction and maintenance	120.00	
	d.(i) Agricutar Production & better marketing (ii) Hortical hub & Animal	110.00	
	e. increase in Income due to increase in animal husbendery and horticulture	40.00	
	f. Decrearing the cost of Electrical held Pipe line, Telephon line & other Communication works	55.00	
	Total direct benefits	889.00	
2.2	ii. Social Benefits		
	a Higher the Educaoin Level	35.00	
	b.Higher the Average due to better Healthfacility (Asseging increase age of 5 Year)	86.00	
	Total social benefits	121.00	
2.3	**iii. Ecological Benefits**		
	a. Increase in Poluction after cost of Road	90.00	
	b. Increase in water level due.	50.00	
	c. Water conservation	30.00	
	Total eclological benefits	170.00	
2.4	Other Benefits(if any)		
	a. Abolition of Castism	10.00	
	b. Abolition of poverty	10.00	
	Total benefits	20.00	
	Grand Total Benefits	1200.00	

J.E.

A.E.

E.E.

A-1.11.2

प्रारुप--29.1

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of Project:- Construction of Chaubati-Baram Bachkwri M/R Nature of Proposal :- Road

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities	Loss of total 392 Nos of trees Costs Rs=878803-56=00 Misc species which will be compensated by compensatory afforestation and additional avenue plantation
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	Nil
3	Cost of human resettlement	Nil No Human displacement involved in forest Area.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	No, loss of public facilities is involved in the proposed project OR Public facilities and Administrative infrastructure like Roads, buildings, railways etc. will not be affected due to road, Therefore the loss due to this will be "Nil"
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	Project is linear, environmental loss are anticipated except tree felling. Environmental value depends upon the density of forest Density of forest land = 0.2
6	Suffering to oustees	Environmental loss for 50 years = 150x0.2x5.409=162.27 lacs Environmental loss for 1 year = 162.27/50 = 3.245 lacs Environmental loss per year / Hectare = 3.245/5.409 = 0.60 lac

For 30 year = 0.60x30 = 18 lacs

Total loss = 878803.56 + 18.00 lacs

= 26.789 lacs.

प्रारूप–29.2

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

S.No.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	Vegitable and Fruits=150Qtl @ 1500/-=225000.00
2	Benefits to economy	About Rs 1.50 Loakh due to Milk prodution,Vegitable,Fruits,Torism and other mining mineral materials
3	No. of population benefited.	706
4	Employment potential.	About Rs240.00 Lakhs About Rs. 240.00 Lakh Labours component in project will give employement to local youth,their social,economic,cultural life structure will be benefited.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Nap Land 3.1882 Hect
6	Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	....
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	....
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	Kerosene Oil/Gas Connection service is available in the area/dry fuel wood will be sufficient from nearby Nigam Depot during construction.

Amit
JE.

प्रपत्र–42

परियोजना का नाम : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,चौबाटी से बरमबचकुडी मोटर मार्ग (9.070 किमी0) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28–03–2008 एवं दि0 09–05–2008 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी V.I
2. हरियाली का घनत्व :– 0.2
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 :– 897000/–
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल :– 5.409 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि :– 4851873

ह0/–

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र--15.4

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चौबाटी--बरमबचकुड़ी मोट मार्ग, (9.070 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि 9.00 मी0 चौड़ाई मे प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पूर्व में पातन होने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई मे ही की गयी थी। जिसकी सूची पूर्व में ही प्रस्तुत कर दी गयी है। वर्तमान में 2.00 मी0 चौडाई मे वृक्षो की गणना कर सूची संग्लन कर प्रेषित की जा रही है। आवेदित 2.00 मी0 चौडाई के लिए वन पंचायत भूमि पर 117 वृक्ष पड़ रहे है, जिनकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची संलग्न है।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 19.06.2015 को संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावित विभाग की ओर से अपर सहायक अभियन्ता, **श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय**, वन विभाग की ओर से वन दरोगा डीडीहाट, **श्री मनोज कुमार तिवारी**, एंव वनरक्षक **श्री मोहन सिंह राठौर**, उपस्थिति रहे। उक्त दिनांक को 2.00 मी0 चौडाई में आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

परियोजना के निर्माण में 9.00 मी0 चौड़ाई में पड़ने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र0 सं0	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग (सेमी में)										योग
		0--10	10--20	20--30	30--40	40--50	50--60	60--70	70--80	80--90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य										
2	सिविल सोयम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	वन पंचायत	15	88	188	95	66	33	16	08	0	0	509
	योग	15	88	188	95	66	33	16	08	0	0	509
4	नाप भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट:— 1— वर्तमान में 2.00 मी0 चौडाई में वृक्षों की गणना कर सूची संग्लन कर प्रेषित की जा रही है।

2— परियोजना के निर्माण में 9.00 मी0 चौडाई के लिए सम्मिलित कुल 509 वृक्षों में से 7.00 मी0 चौड़ाई में वास्तविक रूप से केवल 392 वृक्षों का पातन किया जाना है।

वन दरोगा
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।

सहायक अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।

वन क्षेत्राधिकारी,
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

योजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चौबाटी–बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग, (9.070 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन पंचायत भूमि के 2.00 मी0 चौड़ाई में पड़ने वाले वृक्षों का विवरण ।

मार्ग का नाम:– चौबाटी–बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग के अवशेष 2 मी0 में पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची।

(डीडीहाट वन क्षेत्र, डीडीहाट)

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग (सेमी0 में)										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90+	
1	खीरी वं0पं0	चीड Pinus roxburghii Sargrt	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	03
		बॉज Quercus leucotricophora	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	07
		उतीस	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	08
		बुरांश	—	—	—	4	2	2	1	—	—	—	09
		काफल	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	02
		अयॉर	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	07
2	[illegible]	चीड Pinus roxburghii Sargrt	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	04
		बुरांश	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	03
		काफल	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	02
		बॉज Quercus leucotricophora	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	04
		उतीस	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	03
		अयॉर	—	2		2		—	—	—	—	—	04
3	बड़ेत व0पं0	चीड Pinus roxburghii Sargrt	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	01
		बॉज Quercus leucotricophora	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	05
		बुरांश	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	05
		काफल	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	01
		उतीस	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	04
		अयॉर	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	02

	वन का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग से0 मी0 में (गोलाई)										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90+	
4	कैंडेर वं0पं0	चीड Pinus roxburghii Sargrt	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	02
		बॉज Quercus leucotricophora	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	04
		बुरांश	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	04
		उतीस	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	02
		काफल	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	02
		फल्याट	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	03
5	बरम [illegible]कुडी वं0पं0	चीड Pinus roxburghii Sargrt	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	04
		बॉज Quercus leucotricophora	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	06
		फल्याट	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	04
		उतीस	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	04
		काफल	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	02
		अयॉर	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	06
योग:—			15	3	15	23	32	20	8	1	0	0	117

वन दरोगा
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।

सहायक अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट।

वन क्षेत्राधिकारी,
डीडीहाट (पिथौरागढ़)